

12/6/18 पानवली राजस लोक अदालत न्याय
 आपके द्वार केम्य मुन लाकोला पर
 उदर हुई। जर्मिगण के आधिकारता उपस्थित
 विपक्षी सं. 01 02 व 05 के विरुद्ध
 कोई दाद नहीं चलते हैं। विपक्षी हज्ज
 03 व 04 आवरुद सूचना व रुक-रुक
 कर तीन बार आवाज दिलवाई जाने के
 आवरुद अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध
 एक प्रतीप कार्यवाही के कोश दिने जाते हैं।
 जर्मिगण के अधिकारता द्वारा एक प्रतीप
 की गई बाद वहल ज. प. अलात धारा -
 111-128 LR Act लीका सिपा नाल है

विपक्षी सं. 1,
 2, व 5 के
 विरुद्ध कोई
 दाद नहीं चलते हैं।
 (Remains)

की

Contd.

विद्युत् विनियम पुस्तक है लिखा गया
शा. सि. है

प्राप्त की है कि कुछ अंश है
नामक है कम है

विद्युत् विनियम
(विद्युत् विनियम)
विद्युत् विनियम